SKR IAS
SHREE KRISHNA RADHE IAS

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(09 January 2024)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- बिलकिस बानो के बलात्कार के दोषियों के सजा माफ़ी को सर्वोच्च अदालत ने ख़ारिज किया
- बांग्लादेश चुनाव परिणाम का भारत के लिए महत्व

SKR IAS
SHREE KRISHNA RADHE IAS

बिलकिस बानो के बलात्कार के दोषियों के सजा माफ़ी को सर्वोच्च अदालत ने ख़ारिज किया:

चर्चा में क्यों है?

- सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए 11 लोगों की सजा में छूट को रद्द कर दिया है।
- अदालत ने फैसला सुनाया है कि उनकी सजा माफ करने और उन्हें रिहा करने का गुजरात सरकार का फैसला अवैध था। अदालत ने सोमवार (8 जनवरी) को कहा, "गुजरात सरकार के पास माफी के आवेदन पर विचार करने या आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि वह उपयुक्त सरकार नहीं थी"।

- जिन लोगों को 14 साल जेल की सजा काटने के बाद 15 अगस्त, 2022 को जल्दी रिहाई दी गई थी, उन्हें शीर्ष अदालत ने दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।

सर्वोच्च अदालत के सामने क्या मामला था?

- उल्लेखनीय है कि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दोषी ठहराये गए 11 लोगों को गुजरात सरकार ने 15 अगस्त, 2022 को अपनी छूट और समयपूर्व रिहाई नीति के तहत रिहा कर दिया था।
- सर्वोच्च अदालत के सामने यह मामला था कि क्या गुजरात सरकार के पास सजा माफ करने का आदेश जारी करने का अधिकार था।
- क्योंकि भले ही यह अपराध 3 मार्च 2002 को गुजरात के दाहोद जिले के छप्परवाड गांव में किया गया था, लेकिन मुकदमा मुंबई में हुआ था, जहां एक विशेष अदालत ने 2008 में आरोपियों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई थी।

सजा माफी को लेकर कानूनी प्रावधान क्या है?

- संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत, राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल किसी दोषी को माफ कर सकते हैं, और अदालतों द्वारा पारित सजा को निलंबित, माफ या कम भी कर सकते हैं।

- राज्य सरकारों के पास भी दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 432 के तहत सजा माफ करने की शक्ति है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जेल राज्य का विषय है।
- हालांकि, सीआरपीसी की धारा 433A छूट की इन शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध लगाती है। यह कहता है: *"जहां किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, जिसके लिए मौत कानून द्वारा प्रदान की गई सजाओं में से एक है, या जहां किसी व्यक्ति पर लगाई गई मौत की सजा को धारा 433 के तहत जीवन भर के लिए कारावास में बदल दिया गया है, ऐसे व्यक्ति को तब तक जेल से रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कम से कम चौदह वर्ष कारावास की सजा न काट ली हो"*।

सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार दी गई छूट को रद्द कर दिया?

- न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि गुजरात सरकार के पास दोषियों की सजा कम करने के लिए उनकी माफी की अर्जी पर विचार करने का अधिकार या अधिकार क्षेत्र नहीं है।
- ऐसा इसलिए था क्योंकि सबूतों से छेड़छाड़ की चिंताओं और आशंकाओं और निष्पक्षता के अभाव के कारण 2004 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई

गुजरात - जहां अपराध किया गया था - से मुंबई, महाराष्ट्र में स्थानांतरित कर दी गई थी। मुकदमे के बाद, मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2008 में 11 लोगों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 की धारा 432 के प्रावधानों के अनुसार, छूट के लिए एक आवेदन केवल उस सरकार के समक्ष हो सकता है जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आवेदक को दोषी ठहराया गया था।
- दोषी भविष्य में सजा में छूट के लिए महाराष्ट्र सरकार से संपर्क कर सकते हैं। हालांकि, छूट दी गई है या नहीं, यह राज्य की छूट नीति सहित विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करेगा।

SKR IAS
SHREE KRISHNA RADHE IAS

बांग्लादेश चुनाव परिणाम का भारत के लिए महत्व:

चर्चा में क्यों है?

- बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग (AL) ने 7 जनवरी के आम चुनावों में लगातार चौथी और कुल मिलाकर पांचवीं बार जीत हासिल की।
- प्रधानमंत्री शेख हसीना एक विश्वसनीय सहयोगी साबित हुई हैं और यह भारत के हित में था कि वह सत्ता में वापस आए। हसीना की धुर विरोधी खालिदा जिया के नेतृत्व वाली BNP को भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण माना जाता है, कुछ लोग तो उन्हें पाकिस्तान का प्रतिनिधि तक करार देते हैं।

शेख हसीना का रहना भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में क्यों है?

- बांग्लादेश लगभग पूरी तरह से भारत से घिरा हुआ है और मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है।

- अतीत में, विशेष रूप से जब देश पर सेना या BNP का शासन रहा है, तो भारत के अलगाववादियों और विद्रोहियों को वहां पर सुरक्षित आश्रय मिलता रहा है।
- उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के नेतृत्व वाली सरकार भारत के प्रति काफी शत्रुतापूर्ण थी - और कई भारत-विरोधी आतंकवादी और आतंकवादी समूहों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करती थी। कथित तौर पर इसका संबंध पाकिस्तान की आईएसआई से भी था और इसने कट्टरपंथी इस्लामी कट्टरपंथियों को जगह दी थी।
- जबकि शेख हसीना भारत को लेकर एक बहुत ही सहयोगी नेता रही हैं जिन्होंने अपनी बहुत लंबी पूर्वी सीमा पर भारत के सुरक्षा बोझ को नाटकीय रूप से कम कर दिया है।
- भारत विरोधी तत्वों पर उनकी सख्त कार्रवाई और भारत के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग ने अकेले ही पिछले एक दशक में भारत की समग्र सुरक्षा स्थिति में सुधार किया है। खासतौर पर म्यांमार में बिगड़ते हालात को देखते हुए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत और बांग्लादेश करीबी सुरक्षा साझेदार बने रहें।

भारत-बांग्लादेश के गहरे आर्थिक संबंधों की मजबूती के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

- पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण एशिया में बड़े बदलावों में से एक बांग्लादेश का आर्थिक उदय है, जिसने पाकिस्तान को इस क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया है। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, 2022 में बांग्लादेश की जीडीपी 460 अरब डॉलर थी, जो पाकिस्तान की 375 अरब डॉलर से ज्यादा है।
- 2022-23 में, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड और चीन के बाद बांग्लादेश (12.2 अरब डॉलर) भारतीय वस्तुओं के लिए पांचवां सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य था।
- हसीना के तहत, बांग्लादेश भूमि पारगमन और अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर तक कुशल कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान कर रहा है।

शेख हसीना की चीन से बढ़ती 'नजदीकियां' क्या भारत के लिए चिंता का विषय है?

- यह कुछ हद तक अतिरंजित है - ऐसा नहीं है कि वह भारत की कीमत पर चीन का रुख कर रही है। यह याद रखना चाहिए कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी

अर्थव्यवस्था है, और दक्षिण एशिया के बगल में स्थित है। इसका दुनिया भर में निवेश है। यह उम्मीद करना कि भारत के पड़ोसी चीन के साथ व्यापार नहीं करेंगे, अवास्तविक है।

- वास्तव में, भूटान को छोड़कर अन्य सभी पड़ोसियों की तुलना में, बांग्लादेश भारत और चीन के बीच तनाव से निपटने में कहीं अधिक सावधान रहा है।
- अंत में, भारत का मुख्य विचार यह है कि बांग्लादेश, या उस मामले में कोई भी पड़ोसी, ऐसा कुछ भी नहीं करे, जिससे भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचे। यही वह लाल रेखा है जिसका हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश ने सम्मान किया है।

SKR IAS
SHREE KRISHNA RADHE IAS